राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 1799/2011

1. प्रेम पत्नी राम लाल, उम्र 41 वर्ष, निवासी सरोली, तहसील देवली, जिला टोंक।

2. मोरपाल पुत्र रामलाल, उम्र 21 वर्ष, निवासी सरोली, तहसील देवली, जिला टोंक।

3. निरमा पुत्री राम लाल, उम्र 19 वर्ष, निवासी सरोली, तहसील देवली, जिला टोंक।

----दावेदार/अपीलार्थीगण

बनाम

1. अमर जीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, निवासी बी-45, अशोक विहार, दिल्ली।

2. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डिवीजन कार्यालय टोंक का क्षेत्रीय कार्यालय आनंद भवन, संसार चंद रोड, जयपुर में क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से है।

3. जरनेल सिंह (हटाया गया)।

----गैर-दावेदार/प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री संदीप माथुर

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री ऋषिपाल अग्रवाल

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

<u>निर्णय</u>

<u>11/03/2022</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>:

यह अपील मोटर दुर्घटना दावा मामला संख्या 73/2008 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक)-सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, टोंक (राजस्थान) (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') की न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.07.2009 के आक्षेपित निर्णय और पंचाट के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा दावेदारों-अपीलार्थीगण द्वारा दायर दावा याचिका

को इस आधार पर अपास्त कर दिया गया है कि दावेदारों-अपीलार्थीगण को श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 (संक्षेप में '1923 का अधिनियम')। के प्रावधानों के तहत उनके द्वारा दायर दावा याचिका में पहले ही मुआवजा मिल चुका है।

इस अपील में शामिल मुद्दा यह है कि 'क्या दावेदारों-अपीलार्थीगण श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 22 के तहत और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') 1988') की धारा 166 के तहत मुआवजा पाने के लिए दो समानांतर दावा याचिकाएं दायर कर सकते हैं?'

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दावेदारों-अपीलार्थीगण ने रामलाल की मृत्यु के कारण मुआवजे की मांग करते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की, जिनकी मृत्यु 07.11.1991 को एक दुर्घटना में हुई थी। दावा याचिका में दलील दी गई थी कि दुर्घटना के समय मृतक रामलाल ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और उक्त दुर्घटना में उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण उसके आश्रितों (अपीलार्थीगण) को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि उनके प्यार, स्नेह और देखभाल से भी वंचित होना पड़ा।

प्रत्यर्थी संख्या 2-बीमा कंपनी ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया और दावा याचिका में दिए गए कथनों का खंडन किया और आपत्ति जताई कि दावेदारों-अपीलार्थीगण को पहले ही श्रमिक मुआवजा आयुक्त से मुआवजा मिल चुका है। अतः, दावेदारों-अपीलार्थीगण द्वारा दायर दावा याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

पक्षों की दलीलों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने छह मुद्दे तय किए। दावे के समर्थन में, दावेदारों ने ए.डब्लयू.-1 प्रेम और ए.डब्लयू.-2 आशाराम की जांच की। जबकि प्रत्यर्थीगण की ओर से बचाव में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया।

मुद्दा संख्या 5 पर निर्णय लेते समय, न्यायाधिकरण ने माना कि चूंकि दावेदारों-अपीलार्थीगण को 1923 के अधिनियम की धारा 22 के तहत दावा याचिका दायर करके पहले ही मुआवजा मिल चुका है, अतः, वे मुआवजा प्राप्त करने के लिए बाद में आवेदन दायर करने के पात्र नहीं हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 167 के मद्देनजर और दावेदारों-अपीलार्थीगण द्वारा दायर दावा याचिका अपास्त कर दी गई।

दिनांक 14.07.2009 के आक्षेपित निर्णय और पंचाट से व्यथित और असंतुष्ट

महसूस करते हुए, दावेदार-अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

दावेदारों-अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि 1988 के अधिनियम की धारा 167 में प्रदान किया गया चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं होता है जहां दावेदारों को 1923 के अधिनियम के तहत नियोक्ता के विरूद्ध और अत्याचार करने वाले के विरूद्ध 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने का अधिकार है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि 1988 के अधिनियम की धारा 167 के तहत रोक केवल दोनों अधिनियमों अर्थात् श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एक ही नियोक्ता के विरूद्ध दो उपायों का लाभ उठाने के विरूद्ध है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि दोनों दावा याचिकाओं में प्रत्यर्थी अलग-अलग थे, भले ही बीमा कंपनी आम थी, बीमा कंपनी को दो अलग-अलग बीमा अनुबंधों के तहत मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। अंत में, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आयुक्त, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 द्वारा दिए गए मुआवजे को, 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदारों-अपीलार्थीगण द्वारा दायर किए गए बाद के दावे में समायोजित किया जा सकता है।

अपने तर्कों के समर्थन में, दावेदार अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम डायमव्वा और अन्य ने 2013 एसीजे 709*** में प्रकाशित, के मामले में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया। जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 14 को निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> *"मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बागलकोट और उच्च न्यायालय द्वारा रुपये की मात्रा में मुआवजा देने के निर्णय की पुष्टि करते हैं। दावेदार को 11,44,440 रुपये मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बागलकोट और उच्च न्यायालय ने भी 3,26,140 रुपये की कटौती का आदेश दिया। (कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत दावेदारों को भुगतान)। उक्त कटौती मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 167 को पूर्ण रूप से लागू करती है, यहां तक कि यह अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण-दावेदारों को पहले विकल्प के आधार पर मुआवजा प्रदान करती है, और यह भी सुनिश्चित करती है कि प्रत्यर्थीगण-दावेदारों को दो अधिनियमों के तहत दोहरे लाभ की अनुमति नहीं है।*

इसके विपरीत, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1988 के अधिनियम की धारा 167 और 1923 के अधिनियम की धारा 3(5) के तहत रोक के मद्देनजर, दावेदार-मृतक के विधिक प्रतिनिधि दोनों अधिनियमों के तहत दोहरे लाभ का दावा नहीं कर सकते। अतः, 1988 के अधिनियम के तहत बाद का दावा अपास्त करने योग्य था और निचली अदालत ने इसे यह कहते हुए अपास्त कर दिया कि बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

अपने तर्कों के समर्थन में, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मस्तान एंड अदर, 2006(2) एससीसी 641*** में प्रकाशित मामले में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ***और उसके बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम बिदामी और अन्य ने अपील (सिविल) संख्या 1271/2010*** पर विशेष अनुमति में 17.04.2014 को निर्णीत मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पर भरोसा जताया।

सुना। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया।

मामले को आगे बढ़ाने से पहले, 1988 के अधिनियम की धारा 167 को उद्धृत करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है: -

> *"167. **कुछ मामलों में मुआवजे के दावों के संबंध में विकल्प**-श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट इस अधिनियम के तहत और इसके तहत मुआवजे के दावे को जन्म देती है। श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923, मुआवजे का पात्र व्यक्ति अध्याय X के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन अधिनियमों में से किसी एक के तहत ऐसे मुआवजे का दावा कर सकता है, लेकिन दोनों के तहत नहीं।*

1988 के अधिनियम की धारा 167 का अवलोकन वैधानिक रूप से दावेदार को एक विकल्प प्रदान करता है जिसमें कहा गया है कि जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु, या शारीरिक चोट, 1988 के अधिनियम के तहत और साथ ही 1923 के अधिनियम के तहत मुआवजे

के दावे को जन्म देती है, मुआवजे का पात्र व्यक्ति अध्याय X के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन अधिनियमों में से किसी एक के तहत ऐसे मुआवजे का दावा कर सकता है, लेकिन दोनों के तहत नहीं। धारा 167 में 1923 के अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद इस तरह के विकल्प के लिए प्रावधान करने वाला एक गैर-प्रतिरोधी खंड शामिल है। "चुनाव का सिद्धांत" "एस्टोपेल के नियम" की एक शाखा है, जिसके संदर्भ में किसी व्यक्ति को उसके कार्यों या आचरण से रोका जा सकता है। चुनाव का सिद्धांत यह मानता है कि जब एक ही राहत के लिए दो उपाय उपलब्ध होते हैं, तो पीड़ित पक्ष के पास उनमें से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है, लेकिन दोनों को नहीं। हालाँकि एक ही नियम के कुछ अपवाद हैं लेकिन तत्काल मामले में इसका कोई उपयोग नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बिदामी (सुप्रा.) के मामले में यही अभिनिर्धारित किया है।

यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि ***न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बिदामी, 2009 एससीसी ऑनलाइन राजस्थान 3440,*** में प्रकाशित मामले में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने एकलपीठ सिविल विविध 03.08.2009 को अपील संख्या 891/2008 का निर्णय लेते हुए माना कि 1988 के अधिनियम की धारा 167 के तहत 'चुनाव का सिद्धांत' दावेदारों श्रीमती बिदामी और अन्य पर लागू नहीं होता। हालाँकि, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक की मृत्यु के लिए मुआवजा प्राप्त करने के बाद, उन्हें नियोक्ता और उसके बीमाकर्ता के विरूद्ध श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के तहत मुआवजा भी दिया जा सकता है।

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने अपील (सिविल) संख्या 1271/2010 में विशेष अनुमति प्रस्तुत की। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष और माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अपील की अनुमति दी और इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय को इस प्रकार देखते हुए अपास्त कर दिया: -

> *"अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं, जिसका शीर्षक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मस्तान और अन्य 2006 (2) एससीसी 641 है, जो कि में इस दलील के समर्थन में प्रकाशित किया गया है*

कि यदि दोनों मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत उपाय करते हैं। कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 उपलब्ध हैं, प्रत्यर्थीगण को इनमें से किसी एक उपाय का चयन करना आवश्यक था। प्रत्यर्थी दोनों अधिनियमों के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकते।

पूर्वोक्त निर्णय में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

"22. 1988 अधिनियम की धारा 167 वैधानिक रूप से दावेदार को यह कहते हुए एक विकल्प प्रदान करती है कि जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट 1988 अधिनियम के साथ-साथ 1923 अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे को जन्म देती है, मुआवजे का पात्र व्यक्ति बिना अध्याय धारा 167 में 1923 अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद इस तरह के विकल्प के लिए एक गैर-अप्रत्याशित खंड शामिल है।

23. "चुनाव का सिद्धांत" "रोकथाम के नियम" की एक शाखा है, जिसके संदर्भ में किसी व्यक्ति को उसके कार्यों या आचरण या चुप्पी से रोका जा सकता है जब बोलना उसका कर्तव्य है, उस अधिकार का दावा करने से जो अन्यथा उसके पास होता। चुनाव का सिद्धांत यह मानता है कि जब एक ही राहत के लिए दो उपाय उपलब्ध होते हैं, तो पीड़ित पक्ष के पास उनमें से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है, लेकिन दोनों को नहीं। हालाँकि एक ही नियम के कुछ अपवाद हैं लेकिन मौजूदा मामले में इसका कोई उपयोग नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं।"

यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बिदामी (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का उपरोक्त निर्णय 17.04.2014 को सुनाया गया था, जबकि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दयमव्वा (सुप्रा.) के मामले में दावेदार-अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा 05.02.2013 को

सुनाए गए निर्णय पर भरोसा किया गया था। यह कानून की स्थापित स्थिति है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद में लिया गया दृष्टिकोण पहले के दृष्टिकोण पर प्रबल होगा।

त्रेहान बनाम एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल एजेंसियों **दुर्घटना दावा 813/1996** में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 53 के तहत कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए ईएसआई अधिनियम रोक उस कर्मचारी के अधिकार को छीन लेती है जो बीमित व्यक्ति है और एक कर्मचारी है।

इसी प्रकार ***पवन कुमार बनाम आयुक्त, श्रमिक मुआवजा, 1997 एसीजे 397*** के मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 के मद्देनजर, दावेदार-कर्मचारी के पास फोरम का विकल्प था और जहां दावेदारों ने मोटर के समक्ष दावा याचिका दायर की थी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने कहा कि दोनों अधिनियमों के तहत, दावेदार लाभ का दावा नहीं कर सकता।

इसी प्रकार, ***अबुल खैर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने 2008 (4) टीएसी 981 (गौ.)*** गौहाटी उच्च न्यायालय में प्रकाशित मामले में कहा कि दावेदारों को एमएसीटी अधिनियम के साथ-साथ कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत निर्धारित दोनों मंचों पर जाने का कोई अधिकार नहीं है और वह मंच का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसा विकल्प एक सचेत विकल्प होना चाहिए और दावेदार की पसंद स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए और उसके दावे के निर्णय से पहले की जानी चाहिए।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मस्तान और अन्य (सुप्रा.), के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा संख्या 33, 34 और 35 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:-

> *"33. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 165 के संदर्भ में दावा न्यायाधिकरण की स्थापना पर, मोटर दुर्घटना के पीड़ित को उस न्यायाधिकरण के समक्ष उस अधिनियम की धारा 166 के अनुसार मुआवजे के लिए आवेदन करने*

का अधिकार है। दावा न्यायाधिकरण की स्थापना पर, मोटर दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के दावे पर विचार करने का सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, उस अधिनियम की धारा 175 द्वारा समाप्त हो जाता है। न्यायाधिकरण की स्थापना तक, दावे को अपकृत्य के दावे के रूप में सिविल कोर्ट के माध्यम से लागू किया जाना था। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की विशिष्टता मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 द्वारा एक उदाहरण में छीन ली गई है, जब दावा श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत भी आ सकता है। उस धारा में प्रावधान है कि मोटर दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या शारीरिक चोट, जो कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे को भी जन्म दे सकती है, को उस अधिनियम के तहत अधिकारियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है, इस संबंध में विकल्प पीड़ित या उसके प्रतिनिधि के पास है। लेकिन धारा 167 यह स्पष्ट करती है कि दोनों अधिनियमों के तहत दावा कायम नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक दावेदार जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और श्रमिक मुआवजा अधिनियम दोनों के तहत मुआवजे का दावा करने का पात्र हो जाता है, उसके पास संबंधित फोरम के समक्ष दोनों अधिनियमों के तहत आगे बढ़ने का विकल्प होता है। किसी भी अधिनियम के तहत दावे को प्राधिकरण या न्यायाधिकरण तक सीमित करके, विधायिका ने जहां तक दावेदार का संबंध है, संव्यवहार के चुनाव की अवधारणा को शामिल किया है। दूसरे शब्दों में, उसे यह चुनना होगा कि वह अपना दावा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत करे या श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत। इस धारा में इस बात पर जोर दिया गया है कि दोनों अधिनियमों के तहत दावा नहीं किया जा सकता है। मुआवज़े का दावा करने की योजना में चुनाव के सिद्धांत को शामिल किया गया। सिद्धांत-

"जहां, दो वैकल्पिक न्यायाधिकरणों में से कोई एक वादी के लिए खुला है, जिनमें से प्रत्येक के पास विवाद के मामलों पर अधिकार क्षेत्र है, और वह अपने संव्यवहार के लिए दूसरे की तुलना में ऐसे न्यायाधिकरणों में से एक का सहारा लेता है, तो उसे, अपने प्रतिद्वंद्वी के विरूद्ध, बाहर कर दिया जाता है। उत्तरार्द्ध का

कोई भी आगामी सहारा" [देखें आर.वी. इवांस] को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 की योजना में पूरी तरह से शामिल किया गया है, जो उस दावेदार को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेने से रोकता है, जिसने उसमें अनुमत सीमित सीमा को छोड़कर, श्रमिक मुआवजा अधिनियम लागू किया है। श्रमिक मुआवजा अधिनियम का सहारा लेने वाले दावेदार को केवल मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 में मान्यता प्राप्त अपवाद के अधीन उस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

34. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 की भाषा में, और संव्यवहार के चुनाव के सिद्धांत के अनुसार, श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत आगे बढ़ने का विकल्प चुनने वाला दावेदार अधिनियम 1988 की धारा 167 द्वारा विशेष रूप से बचाए गए के अलावा मोटर वाहन के किसी भी प्रावधान का सहारा नहीं ले सकता है या उससे प्रेरणा नहीं ले सकता है। अधिनियम की धारा 167 श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत भी दावेदार को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय X के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार देती है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अध्याय X किसी दुर्घटना की स्थिति में "कोई गलती नहीं" दायित्व के रूप में जाना जाता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 वाहन के मालिक पर तय मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व रखती है, भले ही चालक या वाहन के मालिक के विरूद्ध कोई दोष सिद्ध न हो। धारा 141 और 142 बिना किसी गलती के दायित्व के आधार पर विशेष दावों से निपटते हैं और धारा 143 उस बात पर फिर से जोर देती है जिस पर अधिनियम की धारा 167 में जोर दिया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय X के प्रावधान, दावे के बावजूद भी लागू होंगे। कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत बनाया गया है। अधिनियम की धारा 144 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय X के प्रावधानों को एक अधिभावी प्रभाव देती है।

35. मामले के तथ्यों पर आते हुए, दावेदार ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से संपर्क करने की दृष्टि से, निर्णय के बिंदु तक पहुंचने से पहले श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत अपना दावा वापस लेने का विकल्प नहीं चुना है। उन्होंने जो

किया है वह कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत अपने दावे को तब तक जारी रखना है जब तक कि पंचाट पारित नहीं हो जाता है और साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के एक प्रावधान को लागू करना है, जिसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 द्वारा कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत दावों पर लागू नहीं किया गया है। दावेदार-प्रत्यर्थी ऐसा करने का पात्र नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि वह ऐसा करने का पात्र है।"

जहां तक दावेदारों-अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का प्रश्न है कि दावेदार इन दो अलग-अलग अधिनियमों राशि को विभिन्न मंचों द्वारा दी गई राशि में समायोजित किया जा सकता है। दावेदारों-अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं है क्योंकि न्यायालयों को सौदेबाजी के मंच के रूप में नहीं माना जा सकता है और दावेदारों को दो मंचों पर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है तो और अधिक पाने के लिए मुआवजे के लिए वे दूसरे मंच से संपर्क कर सकते हैं।

कानून की स्थापित स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि दावेदारों को दो अलग-अलग क़ानूनों अर्थात मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत दायर दो दावों का दोहरा लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केवल एक मंच चुनें और एक मंच चुनने के बाद, उसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरा मंच चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दावेदार दोनों अधिनियमों के तहत दोहरे लाभ का दावा नहीं कर सकते। अपीलार्थी-दावेदारों को 1923 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके मुआवजा मिला है। अतः, 1988 के अधिनियम के तहत दावेदारों द्वारा दायर किया गया बाद का दावा अपास्त करने योग्य था और न्यायाधिकरण द्वारा इसे उचित रूप से अपास्त कर दिया गया था।

उपरोक्त के मद्देनजर, दावेदारों-अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपील अपास्त कर दी गई है और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक)-सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, टोंक (राजस्थान) की न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2009 को निर्णय और पंचाट पारित किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 73/2008 में पुष्टि एवं पुष्टि की जाती है।

स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन), यदि कोई हों, भी अपास्त कर दिये गए

हैं।

रजिस्ट्री को मामले का रिकॉर्ड तुरंत संबंधित न्यायाधिकरण को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

Sharma NK/4

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी.के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।